फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(कर अनुसंधान एकक)

*****

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक जनवरी, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक
प्रधान आयुक्त/आयुक्त
सभी जो सीबीईसी के अंतर्गत आते हैं।

महोदया/महोदय,

विषय: पोलीब्यूटीलीन फीड स्टॉक और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे पोली आइसो ब्यूटीलीन और प्रोपीलीन या डाई-ब्यूटाइलपैरा क्रैसोल के उत्पादन के लिए रखा गया हो, पर जीएसटी के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण।

पोली आइसो ब्यूटीलीन और प्रोपीलीन या डाई-ब्यूटाइल पैरा क्रेसौल के उत्पादन के लिए रखे जाने वाले पोलीब्यीटीलीन फीड स्टॉक पर जीएसटी के लागू होने के बारे में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. इस संदर्भ में प्रोपीलीन या डाई-ब्यूटाइलपैरा क्रैसोल और पोली आइसो ब्यूटीलीन के उत्पादकों ने कहा है कि ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में काम आने वाला मुख्य कच्चा माल क्रमश: लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और पोली ब्यूटीलीन फीड स्टॉक होता है जो कि उनको ऑयल रिफाइनरीज से इसी के निमित्त पाइप लाइनों के माध्यम से सतत आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। जब कि इस कच्चे माल का एक हिस्सा इन उत्पादकों द्वारा रख लिया जाता है बाकि मात्रा ऑयल रिफाइनरी को वापस कर दी जाती है। इस बारे में एक मुद्दा यह पैदा हुआ है कि क्या इस संव्यवहार में उस मुख्य कच्चे माल की संपूर्ण मात्रा पर जीएसटी लगाया जा सकता है जो कि उन्हें ऑयल रिफाइनरी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है या इसे केवल उस निबल मात्रा पर लगया जाएगा जिसे कि प्रोपीलीन या डाई ब्यूटाइलपैरा क्रैसोल और पोलीआईसो ब्यूटीलीन के उत्पादक अपने पास रख लेते हैं।

3. 18.01.2018 को हुई जीएसटी परिषद की 25 वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और यह स्पष्टीकरण देने के लिए सिफारिश की गई कि ऐसे संव्यवहार में जीएसटी का भुगतान रिफाइनरी के द्वारा पोलीब्यूटीलीन फीड स्टॉक और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की उस निबल मात्रा पर करना होगा जिसे कि पोलीआइसोब्यूटीलीन और प्रोपीलीन या डाई ब्यूटाइलपैराक्रैसोल के उत्पादक अपने पास रोक लेते हैं।

4. तद्नुसार, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जीएसटी को रिफाइनरी के द्वारा पोलीब्यूटीलीन फीड स्टॉक और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की उस निबल मात्रा पर भुगतान किया जाना होगा। जिसको कि पोलीआईसोब्यूटीलीन और प्रोपीलीन या डाई ब्यूटाइलपैराक्रैसोल के उत्पादक अपने पास रख लेते हैं। यद्यपि रिफाइनरी को पोलीब्यूटीलीन फीड स्टॉक और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की लोटाई गई मात्रा पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। जब यह इसको अन्य व्यक्तियों को आपूर्ति करेगी।

5. इस स्पष्टीकरण को केवल माल एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून के संदर्भ में जारी किया जा रहा है और इसके पहले के मुद्दों, यदि कोई हो, का समाधान तत्समय लागू कानून के तहत किया जाएगा।

भवदीय,

तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)

ई-मेल .